



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2006/फाल्गुन 17, 1927

No. 210]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2006/PHALGUNA 17, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2006

का.आ. 295(अ).— कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 27 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक स्वास्थ्य के लिए रोगवाही कीट नियंत्रण में उपयोग के लिए निर्यात हेतु डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन का विनिर्माण अनुज्ञात करने के प्रयोजनों को पुनरीक्षित करने के लिए एक प्रारूप आदेश संख्या का.आ. 378(अ) तारीख 26 मई, 1989 प्रकाशित किया गया था। भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 25 अक्टूबर, 2005 में का.आ. संख्यांक 1534(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2005, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना के अधीन उन सभी व्यक्तियों से जिनके उस आदेश से (जिसको इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व सुझाव या आक्षेप आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 अक्टूबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त आदेश के संबंध में जनता से कोई सुझाव और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्यांक

का.आ.378(अ) तारीख 26 मई, 1989 के पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) किसी महामारी के मुख्य प्रकोप की दशा में के सिवाय डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन (डीडीटी) का उपयोग घरेलू लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक निर्बन्धित कर दिया गया है। देश में डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन का एकमात्र विनिर्माता मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड लोक स्वास्थ्य के प्रयोजनों के लिए रोगवाही कीट नियंत्रण में उपयोग हेतु अन्य देशों को निर्यात करने के लिए डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन का विनिर्माण कर सकेंगे। पक्षकारों और राज्य गैर-पक्षकारों को डाइक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोथेन का निर्यात सर्वथा दीर्घ स्थायी जैव प्रदूषकों (पी.ओ.पी.) पर स्टाक होम कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के पैरा 2(ख) के अनुसार होगा।

(2क) प्रत्येक राज्य सरकार उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन, राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए जैसा वह आवश्यक समझे, वैसे कदम उठाएगी।”

[फा. सं. 19-6/1999-पीपी-1(जिल्द II-बी)]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 26 मई, 1989 की अधिसूचना सं. 378(अ) तारीख 26 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2006

S.O. 295(E).— Whereas a draft Order with a view to revise the Order number S.O. 378(E) dated the 26th May, 1989 for the purposes of allowing the manufacture of Dichloro Diphenyl Trichloroethane for export for use in vector control for public health was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) (hereinafter referred to as the said Act) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1534 (E), dated the 25th October, 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th October, 2005, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, (hereinafter referred to as the said Order), before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th October, 2005;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the said Act and after consultation with the Registration Committee constituted under section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order, namely :-

1. In the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation number S.O. 378(E) dated the 26th May, 1989, for paragraph (2), the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"(2) The use of Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) for the domestic public health programme is hereby restricted upto 10,000 Metric Tonnes per annum, except in case of any major outbreak of epidemic. M/s. Hindustan Insecticides Limited, the sole manufacture of Dichloro Diphenyl Trichloroethane in the country may manufacture Dichloro Diphenyl Trichloroethane for export to other countries for use in vector control for public health purpose. The export of Dichloro Diphenyl Trichloroethane to Parties and State non-Parties shall be strictly in accordance with paragraph 2 (b) of Article 3 of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs).

(2A) Every State Government shall take such steps under the relevant provisions of the said Act and the rules made thereunder as it considers necessary for the execution of this Order in the State."

[F. No. 19-6/1999-PP-I(Vol. II-B)]
ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Note :—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 26th May, 1989 vide notification No.S.O.378 (E) dated the 26th May, 1989.